

केंद्रीय विद्यालय संगठन(मु.)

18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली- 110016

KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)

18, Institutional Area, S.J. Marg, New Delhi 110016.

Tel.: 011-2695168, 8860748880

Email- mpquota@kvs.gov.in

Website: www.kvsangathan.nic.in

केन्द्रीय विद्यालय संगठन

File No: 11-PUB0GEN/3/2021-Publication/Spl.Disp./MP

दिनांक-09.07.2021

सांसद संस्तुति पर प्रवेश आदेश

माननीय सांसद **Shri T.G. Venkatesh** के द्वारा के.वि.सं कूपन संख्या **708** के माध्यम से की गई संस्तुति के आधार पर निम्न विद्यार्थियों को माननीय सांसद के लिए विशेष छूट प्रवेश योजना के अंतर्गत सत्र 2021-22 में प्रवेश दिया जाना अनुमोदित किया जाता है:-

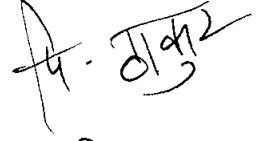
S.N.	Name of the Child	Father's/Mother's Name (in Capital letter) and address with mobile No.	Class	Name of KV
1	BASA SAI KARTHIK	SH. CHALAPAREDDY SATYANARAYANA MOB- 9949337777	4	GACHIBOWLI
2	BHAVIK JADHAV	SH. SANTOSH JADHAV MOB- 9000640055	2	PICKET SECONDERABAD
3	THIYANA, K	SH. KIRAN KUMAR MOB- 9712907746	3	GACHIBOWLI
4	MACHIPALLI NANDA NARAYAN	SH. M. RAGHAVENDRA MOB- 9849323341	3	GACHIBOWLI
5	KARTHIK BEDRE	SH. B. VENKATESH	1	SHIVARAMPALLY SVP NPA
6	MASIMUKKU OKSHAN SAI	SH. MASIMUKKU VENKATA SAMBASIVA RAO	4	NO.1 VIJAYAWADA
7	SHAIK MOHD RAYYAN	SH. SHAIK RIAZ MOB- 7661954267	6	KURNOOL
8	SHAIK MOHD RAHMAN	SH. SHAIK ALI ABBAS MOB- 9440020786	7	KURNOOL
9	G. RAJEEV MANOHAR	DR. G. RAJESH MOB- 9030576717	8	KURNOOL
10	POREDDY KHYATEJ REDDY	SH. POREDDY VENUMADHAV REDDY MOB- 9966559256	6	NO.1 UPPAL

14. 8/7/21

कृ. पृ. उ.

निर्देश:-

- (i) विद्यार्थी, अन्यथा के. वि. सं. की वर्तमान प्रवेश दिशानिर्देशिका 2021-22 के अनुसार पात्र होना चाहिए ।
- (ii) इन प्रवेशों की संख्या कक्षा की नियत संख्या के ऊपर एवं अलावा (over and above) होगी।
- (iii) प्राचार्य, संबन्धित केन्द्रीय विद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि वे उपरोक्त विद्यार्थी के अभिभावकों को प्रवेश हेतु अविलम्ब सूचित करें।
- (iv) प्रवेश की अंतिम तिथि 31.08.2021 है।



(पिया ठाकुर)
संयुक्त आयुक्त (शैक्षिक)

प्रतिलिपि:

1. Shri T.G. Venkatesh माननीय संसद सदस्य को ई. मेल से सादर सूचनार्थ।
2. उपायुक्त, केविसं, **HYDERABAD** संभाग को सूचार्थ। (ई. मेल)
3. प्राचार्य- संबन्धित विद्यालय को आवश्यक कार्यवाही हेतु। (ई. मेल)